

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(स्थापना विभाग)

मानक भवन  
9, बहादुर शाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली-110002

हमारा संदर्भ: स्था-1/06:01/01/2020

दिनांक : 01 जनवरी 2020

**कार्यालय जापन**

निम्नलिखित सहायकों को वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 (पीबी-2/ग्रेड पे रु.4600) में अनुभाग अधिकारी पद में पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर, नीचे दिये गए विवरण के अनुसार तैनात करने का निर्णय किया गया है:

The following Assistants have been selected for promotion to the post of Section Officer in the Level-7 in the Pay Matrix [PB-2/Grade Pay of Rs 4600] and as decided by the Competent Authority they have been posted at their present place of posting as per details given below :

क्र.सं. Sl.No.	कर्मचारी सं. Emp No.	नाम तथा पदनाम Name & Designation	वर्तमान तैनाती का स्थान Present place of posting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	054445	श्री अरुण कपूर Shri Arun Kapoor	मुख्यालय-एमएससीडी HQ-MSCD
2.	054844	श्रीमती वीना कोहली Smt. Veena Kohli	मुख्यालय-वित्त विभाग HQ-Finance Deptt.

2. उनकी पदोन्नति उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर अनुभाग अधिकारी पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। अतः वे पदोन्नति पर अपनी पदभार ग्रहण रिपोर्ट तुरंत अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को ईमेल estt@bis.gov.in द्वारा भेजें।

2. Their promotion will take effect from the date they assume the duties of the post of Section Officer at their present place of posting. Therefore, they should send their duty assumption report on promotion immediately to the undersigned by email at estt@bis.gov.in, through their Departmental Head.

3. Since, they have got the benefit of pay fixation under the grant of III<sup>rd</sup> Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-7 [PB-2/Grade Pay of Rs 4600], therefore, they are not entitled for pay fixation consequent upon promotion, as per rules.

3. चूंकि वे MACPS के अंतर्गत III<sup>rd</sup> वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अंतर्गत वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए, वे नियमानुसार, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु पात्र नहीं हैं।

4. उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

4. They will be required to serve anywhere in India.

5. सेवा की अन्य नियम व शर्तों के संबंध में वे समय-समय पर लागू ब्यूरो के नियमों व विनियमों द्वारा शासित होंगी।

5. As regards other terms and conditions of service they will be governed by the Rules and Regulations of the Bureau in force from time to time.

हस्ता/-

(संदीप मीना)

निदेशक (स्थापना)

प्रतिलिपि :

उपरोक्त पैरा 1 के अंतर्गत दिये कर्मचारियों को उनके संबन्धित विभागीय प्रमुखों द्वारा

- |  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| (i) उपमहानिदेशक (प्रशा)(सतर्कता सचिवालय)     | (iii) निदेशक (लेखा)                                  | (iv) निदेशक (वित्त) |
| (v) संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फ़ाइल      | (vi) संबन्धित कर्मचारी की छुट्टी फ़ाइल               |                     |
| (vii) स्था-V (कम्प्यूटर अद्यतन तथा GIS हेतु) | (viii) मुख्यालय-आईटीएस (BIS इंटरनेट पर परिचालन हेतु) |                     |

  
निदेशक (स्थापना)